2022/59

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
जाति उपाध्याय
निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 12 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.02.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 05.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 02.10.2021 को गावं सांतपुर के ग्रामवासियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को अपीलांट के विरूद्ध शिकायत पेश की, उक्त शिकायत की प्रमाणित प्रति एवं सांतपुर गांव के ग्रामवासियों द्वारा पुरानी तहसील की चारदीवारी बनवाने बाबत व निजी उपयोग हेतु पानी की लाईन बिछाने बाबत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिया था, उक्त प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 05.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 02.10.2021 को गावं सांतपुर के ग्रामवासियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को अपीलांट के विरूद्ध शिकायत पेश की, उक्त शिकायत की प्रमाणित प्रति एवं सांतपुर गांव के ग्रामवासियों द्वारा पुरानी तहसील की चारदीवारी बनवाने बाबत व निजी उपयोग हेतु पानी की लाईन बिछाने बाबत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिया था, उक्त प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पी[illegible] पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैस[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2022.02.15 18:17:13 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner